

**बिहार सरकार**  
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

पत्रांक— पि0व0/2/ब0 एवं आ0-17-01/2022- 42, 330.

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,  
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक— 07/04/2026

विषय:— वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत निदेशालय के संधारणार्थ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0002-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण-निदेशालय के अंतर्गत कुल रू0 55,36,110/- (रूपये पचपन लाख छत्तीस हजार एक सौ दस) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत निदेशालय के संधारणार्थ संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू0 55,36,110/- (रूपये पचपन लाख छत्तीस हजार एक सौ दस) मात्र आवंटित की जाती है।

2-कुल भारत व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0002-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण-निदेशालय विषय शीर्ष 01 01 वेतन, 01 03 जीवन यापन भत्ता, 01 04 मकान किराया भत्ता, 01 05 परिवहन भत्ता, 01 06 चिकित्सा भत्ता, 05 01 पुरस्कार, 06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 11 01 यात्रा व्यय, 13 01 कार्यालय व्यय, 13 02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव, 13 03 दूरभाष, 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान, 20 01 आतिथ्य व्यय, 20 03 प्रशिक्षण व्यय, 26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन, 28 02 संविदा सेवाएँ, 28 03 कन्सलटेंसी, 28 05 परीक्षा संबंधी व्यय, विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-001-0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3- आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

4- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5- प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दिया जा रहा है।

**अनु0:-यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक- पि0व0/2/ब0 एवं आ0-17-01/2022- ५१.


पटना, दिनांक- 07/04/2026

प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेशालय के संधारणार्थ आवंटित राशि की विवरणी।


विपत्र कोड-11-2225-03-001-0002

वित्तीय वर्ष-2026-27

क्रम सं०	विषय शीर्ष	आवंटित राशि
1	01 01-वेतन	1716660
2	01 03-जीवन यापन भत्ता	1116060
3	01 04-मकान किराया भत्ता	343200
4	01 05- परिवहन भत्ता	141900
5	01 06- चिकित्सा भत्ता	35640
<b>(क) योग- वेतन एवं भत्ते</b>		<b>3353460.00</b>
6	05 01-पुरस्कार	1650
7	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	66000
8	11 01-यात्रा व्यय	66000
9	13 01-कार्यालय व्यय	660000
10	13 02 --वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	165000
11	13 03- दूरभाष	99000
12	13 10-भाड़े की गाड़ी का भुगतान	495000
13	20 01- आतिथ्य व्यय	16500
14	20 03-प्रशिक्षण व्यय	16500
15	26 01-विज्ञापन और प्रकाशन	165000
16	28 02-संविदा सेवाएँ	300000
17	28 03-कन्सलटेंसी	33000
18	28 05 परीक्षा संबंधी व्यय	99000
<b>(ख) योग-</b>		<b>2182650.00</b>
<b>कुल योग (क+ख)-</b>		<b>5536110.00</b>

(रु० पचपन लाख छत्तीस हजार एक सौ दस) मात्र।

पत्रांक- 42, दिनांक- 07/04/2024 का अनुलग्नक

  
सरकार के अपर सचिव।